संख्या-3/2025/।/914836/2025/001-77-4099-789-2023

प्रेषक,

जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24.03.2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु रनियां, कानपुर देहात के डम्प क्रोमियम वेस्ट के उपचार एवं डिस्पोजल के निस्तारण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-1513/सा0/आर-130/2025 दिनांक 15.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खानचन्दपुर, रनियां, कानपुर देहात में भण्डारित क्रोमियम अपशिष्ट वेस्ट उपचार एवं डिस्पोजल हेतु रू0 72.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रनियां कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के उपचार एवं डिस्पोजल के कार्य के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02 रनियाँ कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के उपचार एवं डिस्पोजल-24 वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित/प्राविधानित धनराशि रू0 7200.00 लाख (रूपये बहत्तर करोड़ मात्र) अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर जिलाधिकारी कानपुर देहात के एस्क्रो एकाउण्ट संख्या-30700200000268 (Current Account) में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण एस्क्रो एकाउण्ट से उ०प्र० प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.01.2020 द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर की जायेगी और समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार धनराशि व्यय की जायेगी।

(3) जिलाधिकारी, कानपुर देहात का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/पी.एल.ए. खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों मं उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(9) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(10) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, कानपुर देहात उत्तरदायी होंगे।

(11) जिस मद में धनराशि का पुर्नविनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 72,00,00,000 (रुपये बहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 4070008000200 रनियां कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के उपचार एवं डिस्पोजल **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जय वीर सिंह),
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
6. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8. औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4।
10. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह),
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।